CHAPTER-VI

REFUND OF INTEGRATED TAX TO INTERNATIONAL TOURIST

Section 15 : Refund of integrated tax paid on supply of goods to tourist leaving India

The integrated tax paid by tourist leaving India on any supply of goods taken out of India by him shall be refunded in such manner and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed.

Explanation—For the purposes of this section, the term "tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

अध्याय 6
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को एकीकृत कर का प्रतिदाय

धारा 15 : भारत छोड़ने वाले पर्यटक को माल की पूर्ति संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय

भारत छोड़ने वाले पर्यटक द्वारा भारत के बाहर उसके द्वारा ले जाए गए माल की किसी पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और रक्षोपायों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''पर्यटक'' पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है, जो विधि सम्मत् गैर–अप्रवास प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रूकने के लिए भारत में प्रवेश करता है।